भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
हौज खास नई दि ल्ली–119916
समन्वय अनुभाग

सं. भा.प्रौ.सं.दि./समन्वय/बीजी/061/2014/748 दिनाकं 09/10.06.2014

विषय : कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण, निषेध एवं दंडित करने संबंधी भा.प्रौ.सं. दिल्ली के नियम एवं प्रक्रिया, 2014

उपर्युक्त विषय पर संस्थान की दिनांक 19.02.2001 की अधिसूचना सं. भा.प्रौ.सं.दि./समन्वय/16/2001/1227 का अधिक्रमण करते हुए दिनांक 21.03.2014 को आयोजित अभिशासक परिषद की 186वीं बैठक में अनुमोदित के अनुसार कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण, निषेध एवं दंडित करने संबंधी भा.प्रौ.सं. दिल्ली नियमावली एवं प्रक्रियाएं, 2014 संलग्न हैं।

संशोधित नियमा एवं प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

सभी विभागों/केन्द्रों/अनुभागों/एककों/कक्षों के अध्यक्षों से अनुरोध है कि उपरोक्त विषयवस्तु उनके प्रभार के अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों की जानकारी में लाई जाए।

(एन. भास्कर)
सहायक कुलसचिव, (समन्वय)
संलग्नक : यथोक्त

उपनिदेशक(कों)/संकायाध्यक्षों/सभी विभागों/केन्द्रों/अुनभागों/प्रकोष्ठ/कक्षों के अध्यक्ष

प्रतिलिपिः

1. प्रोफेसर प्रभारी (योजना)
2. अधीक्षक (सम्मेलन) को उनकी दिनांक 27.05.2014
   टिप्पणी : भा.प्रौ.सं.दि./सम्मेलन/बीजी/186वीं/2014/142 के संदर्भ में
3. अध्यक्ष, हिन्दी कक्ष ''सम्पर्क'' में प्रकाशन हेतु
4. सहायक कुलसचिव (समन्वय) News letter में प्रकाशन हेतु
5. अध्यक्ष, अस्पताल सेवाएं
6. संस्थान अभियन्ता
7. उप कुलसचिव, निदेशक कार्यालय
8. कुलसचिव के सचिव
9. महासचिव, आई.आई.टी. इम्पलाईज यूनियन/अधिकारी संगठन/संकाय मंच
10. मास्टर फाइल

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण, निषेध एवं दंडित करने संबंधी भा.प्रौ.सं. दिल्ली के नियम एवं प्रक्रिया, 2014

1. **संक्षिप्त शीर्षक**

इन नियमों एवं प्रक्रियाओं को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के निवारण, निषेध एवं दंडित करने संबंधी नियम एवं प्रक्रिया कहा जाएगा।

2. **परिभाषाएं**

क. **संस्थान** का अभिप्राय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से है।

ख. **निदेशक** का अभिप्राय संस्थान (भा.प्रौ.सं. दिल्ली) के निदेशक से है।

ग. **कर्मचारीगण** में संस्थान के अधिनियम के खंड 11 के अंतर्गत वर्गीकृत शैक्षिक, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारीगण शामिल हैं।

घ, **नियुक्त व्यक्ति** में वह व्यक्ति शामिल हैं, जिसे सीधे अथवा किसी एजेंसी (संविदाकार सहित) द्वारा अथवा उसके माध्यम से प्रधान नियोक्ता की जानकारी अथवा बिना जानकारी के पारिश्रमिक पर अथवा उसके बिना अथवा स्वैच्छिक आधार पर किसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो, चाहे नियोजन की शर्तें सुस्पष्ट एवं अन्तर्निहित हों और इसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है जो अस्थायी, नैमित्तिक, बदली, उजरती दर पर नियुक्त हो अथवा संविदा कामगार, परिवीक्षार्थी, प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षु अथवा किसी अन्य नाम से पुकारा जाने वाला हो।

ड. **छात्र** में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो संस्थान में किसी भी प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम में अध्ययनरत है। इसमें अंशकालिक और प्रायोजित छात्र भी शामिल होंगे।

च. **निवासी** में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो संस्थान द्वारा आबंटित किसी भी प्रकार के आवास अथवा परिसर का अस्थायी अथवा स्थायी निवासी हो। इनमें संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए आवासीय क्वार्टर्स/छात्रावास अथवा संस्थान द्वारा इसके मुख्यालय अथवा किसी भी विस्तार परिसर में अपने कर्मचारियों/विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए कोई भी अन्य आवास शामिल हैं।

छ. **सदस्य** में संस्थान के कर्मचारी, नियुक्त व्यक्ति, छात्र और निवासी अथवा अभिशासक परिषद, वित्तीय समिति, भवन एवं निर्माण समिति, अभिषद और संस्थान द्वारा गठित अन्य समितियों अथवा बोर्डों में नियुक्त व्यक्तियों सहित किसी भी क्षमता में कार्यरत कोई भी व्यक्ति शामिल हैं।

ज. **बाहरी व्यक्ति** में कोई भी व्यक्ति शामिल है, लेकिन ये संस्थान को आवासीय, भोजन अथवा कोई अन्य सुविधाएं प्रदान करने वाले किसी प्राइवेट व्यक्ति तक सीमित नहीं हैं।

झ. **परिसर** में संस्थान के सभी कार्यस्थल और आवास अथवा कोई भी मौजूदा अथवा भविष्य में स्थापित किए जाने वाले विस्तार परिसर शामिल हैं। इसमें संस्थान और इसके विस्तार परिसरों में स्थित सभी शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रशासन के स्थल के साथ–साथ स्टाफ क्वार्टर्स, छात्रावास, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल–कूद के मैदान, पार्क, सड़कें, गलियां और कैंटीन इत्यादि शामिल हैं।

3. यौन उत्पीड़न

इसमें निम्नलिखित व्यवहार को महिला यौन उत्पीड़न माना जाएगाः–

1. अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार, जैसे कि यौन प्रस्ताव, यौनाचरण का अनुरोध और यौन किस्म का मौखिक अथवा शारीरिक आचरण, जोकि संस्थान के किसी कार्यलाप में महिला के शामिल होने पर उसके शिक्षण/मार्गदर्शन, शिक्षा, रोजगार, सहभागिता अथवा मूल्यांकन की स्पष्टतया अथवा अप्रत्यक्ष शर्तें बनाई गई हों।

2. अवांछित यौन निर्धारित व्यवहार, जिसमें यौन प्रस्ताव, शारीरिक और अथवा मौखिक अथवा गैर–मौखिक आचरण तक सीमित न होकर बल्कि ये भी शामिल हैं, जैसे कि गूढ़ अर्थ वाली टिप्पणियां, फब्तियां कसना अथवा मजाक उड़ाना, पत्र लिखना, फोन करना, एसएमएस अथवा ई–मेल भेजना, इशारा करना, अश्लील तस्वीरें दिखाना, डरावनी नजरों से देखना, छेड़–छाड़ करना, पीछा करना, अपमानजनक तरीके से आवाज निकालना या दर्शाना जिसका किसी महिला के कार्य अथवा शैक्षिक कार्यनिष्पादन में हस्तक्षेप करने अथवा प्रभावित करने का उद्देश्य हो अथवा रोजगार, शैक्षिक अथवा रहन–सहन का भयभीत, शत्रुतापूर्ण अथवा आक्रामक वातावरण पैदा करना।

3. यदि कोई व्यक्ति यौन प्रयोजनार्थ और किसी महिला के संदर्भ में उसकी सहमति के बिना अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने शरीर अथवा शरीर के किसी अंग अथवा शरीर के अंग के रूप में किसी वस्तु का प्रयोग करता है, तो ऐसे आचरण को यौन आक्रमण माना जाएगा।

स्पष्टीकरण

(क) यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी महिला की तर्कसंगत अवधारणा यह निर्धारित करने में सुसंगत होती है कि क्या कोई आचरण यौनाचार निर्धारित था और यदि ऐसा

है, तो क्या ऐसा आचरण अवांछित था या नहीं और क्या उसकी आपत्ति मूल्यांकन, ग्रेडिंग, भर्ती अथवा पदोन्नति सहित उसकी शिक्षा अथवा रोजगार के मामले में उसके लिए अलाभकारी नहीं होगी अथवा जब इससे कार्य, शैक्षिक अथवा रहन–सहन का शत्रुतापूर्ण वातावरण पैदा होता हो।

(ख) ''शत्रुतापूर्ण वातावरण'' तब पैदा हुआ माना जाता है, जब यौन उत्पीड़न के किसी व्यवहार से किसी व्यक्ति के कार्यनिष्पादन में हस्तक्षेप करने अथवा प्रभावित करने का प्रयोजन हो अथवा रोजगार, शैक्षिक अथवा रहन–सहन का भयभीत, शत्रुतापूर्ण अथवा आक्रामक वातावरण पैदा करना हो।

4. कार्यक्षेत्र

क्षेत्राधिकार

ये नियम और प्रक्रियाएं निम्नलिखित द्वारा की जाने वाली यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों पर लागू होंगे :–

i संस्थान के किसी पुरुष सदस्य के विरुद्ध संस्थान की महिला सदस्य द्वारा की गई शिकायत, चाहे तथाकथित यौन उत्पीड़न किसी भी स्थान पर हुआ हो।

ii संस्थान के किसी पुरुष सदस्य के विरुद्ध संस्थान की महिला निवासी द्वारा की गई शिकायत, चाहें तथाकथित यौन उत्पीड़न परिसर के भीतर अथवा बाहर हुआ हो।

iii किसी पुरुष निवासी के विरुद्ध महिला सदस्य अथवा निवासी द्वारा की गई शिकायत, जब तथाकथित यौन उत्पीड़न परिसर के भीतर हुआ हो।

iv संस्थान के किसी पुरुष सदस्य के विरुद्ध किसी बाहरी महिला द्वारा की गई शिकायत, जब तथाकथित यौन उत्पीड़न परिसर के भीतर हुआ हो।

5. संस्थान के सामान्य कर्तव्य और उत्तरदायित्व

संस्थान

(क) यौन उत्पीड़न के निवारण और निषेध सहित महिलाओं के लिए यौन उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेगा।

(ख) यौन उत्पीड़न के विरोध और निषेध के लिए नीति तैयार करना और उसे व्यापक रूप से प्रदर्शित करेगा।

(ग) यौन उत्पीड़न की परिभाषा और समाधान की प्रक्रिया के अनुसार सभी सदस्यों को शिक्षित करने के लिए अनुकूल कार्यक्रम बनाना।

(घ) सदस्यों के सुग्राहीकरण (sensitizing) हेतु नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

(ड.) ''कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न'' के विषय में जागरुकता फैलाने के लिए विभिन्न स्थानों पर सूचनाएं प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा और तैयार किए गए समाधान सिस्टम के संबंध में सूचना जारी करना तथा महिलाओं को अपनी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना।

(च) यौन उत्पीड़न के मामले/मामलों के समाधान के लिए यौन उत्पीड़न निरोधक समिति के गठन के माध्यम से इस नीति के अन्तर्गत कार्यवाहियां आरम्भ करने को सुविधाजनक बनाएगा।

(छ) यह सुनिश्चित करना कि शिकायत दर्ज कराने पर शिकायतकर्ता के स्तर/नौकरी, वेतन, पदोन्नति, ग्रेड इत्यादि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस नीति के अंतर्गत जांच के लंबित रहने के दौरान और यौन उत्पीड़न की शिकायत का अंतिम निर्धारण होने तक संस्थान इस नीति के अन्तर्गत शिकायत दर्ज कराने, जांच में भाग लेने अथवा आयोजित होने के परिणामस्वरूप संबंधित शिकायतकर्ता/गवाह की उनके प्रति पूर्वाग्रह के कारण सेवा/अध्ययन की शर्तों में परिवर्तन नहीं करेगा।

(ज) गोपनीय परामर्श के लिए स्थान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। इस सुविधा के प्रावधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, संस्थान किसी व्यावसायिक सक्षम परामर्शदाता की सेवाएं प्राप्त कराना।

6. समितियों के गठन हेतु सिद्धांतों का मार्गदर्शन करने के लिए शिकायत तंत्र और इसका अधिकार क्षेत्र

(क) संस्थान कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं समाधान) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा।

(ख) यदि आंतरिक शिकायत समिति में कोई सदस्य प्रतिवादी की श्रेणी का प्रतिनिधित्व कर रहा है और वह संस्थान के वरिष्ठता क्रम (उत्तराधिकार) में

शिकायतकर्ता से कनिष्ठ है, तब उस जांच विशेष के मामले में उस समिति में प्रतिवादी से वरिष्ठ रैंक के अन्य व्यक्ति को उस सदस्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) आंतरिक शिकायत समिति को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकरण माना जाएगा। आंतरिक शिकायत समिति एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार जांच आयोजित करेगी :–

7. आंतरिक शिकायत समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य

(क) निवारक उपाय

लिंग भेद सुग्राहीकरण एंव अनुकूलन

1. समानता, गैर–भेदभाव और लिंग न्याय का संवर्धन करने के लिए उचित वातावरण बनाने की दिशा में कार्य करना।

2. महिलाओं के यौन उत्पीड़न से मुक्त कार्य एवं अध्ययन का वातावरण स्थापित करने के लिए उपायों का संवर्धन एवं सुविधाजनक बनाना।

3. संस्थान की यौन उत्पीड़न निरोधक नीति का हिन्दी और अंग्रेजी में विशेषकर विवरणिका, कार्यक्रम दिशानिर्देश अथवा अन्य उचित दस्तावेज के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार करना और इन्हें सूचना पटों, वेबसाइट, कार्यालय और आवासीय क्षेत्रों इत्यादि में प्रदर्शित किया जाए।

4. समिति संस्थान में सुरक्षा कार्यालय के फोन नं. प्रचारित करने के साथ–साथ 24 घंटे कार्य करने वाली हेल्पलाइन स्थापित कर प्रचारित करेगी, जहां से समिति द्वारा पदनामित व्यक्तियों को सूचना अग्रेषित की जा सकेंगी।

5. घोषित किए जाने वाले प्रत्येक भर्ती/प्रवेश में यह उल्लेख अवश्य होना चाहिए : संस्थान की यौन उत्पीड़न निरोधक नीति है और कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से मुक्त वातावरण है।

6. कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, पोस्टरों, फिल्मों, शो, वाद–विवाद इत्यादि के माध्यम से संस्थान सदस्यों के सुग्राहीकरण के लिए नियमित रूप से कार्यक्रमों का आयोजन

करना औऱ लागू करना। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विशेषज्ञ गैर–सरकारी संगठनों की सहायता ली जा सकती है।

7. समिति संस्थान परिसर में लैंगिक संवेदनशीलता और लैंगिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के गंभीर उल्लंघनों का स्वतः संज्ञान ले सकती है और जैसा उचित लगे उस तरीके से समिति इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है।

ख. उपचारात्मक उपाय

जांच

1. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायतें प्राप्त करना/संज्ञान लेना।

2. इन शिकायतों की जांच करना, संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष निष्कर्ष प्रस्तुत करना और निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार उत्पीड़न करने वाले के विरुद्ध दंड लगाने की सिफारिश करना।

3. यदि उत्पीड़न करने वाला शिकायतकर्ता अथवा गवाह का उत्पीड़न करता है अथवा उसे डराता है, तब संबंधित प्राधिकारी को चेतावनी जारी करने, निलंबित करने अथवा कोई अन्य आदेश जारी करने का परामर्श देकर जांच के लंबित रहने के दौरान और शिकायत के अंतिम निर्धारण तक शिकायतकर्ता और गवाह की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

4. शिकायत पर कार्रवाई किए जाने के दौरान यह सुनिश्चित करने के प्रयास करना कि शिकायतकर्ताओं और गवाहों का आगे उत्पीड़न न हो अथवा उनके साथ भेदभाव न हो। समिति शिकायतकर्ता अथवा समिति के सदस्यों को धमकाने वाले अथवा डराने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। उसमें प्रतिवादी अथवा अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधक आदेश जारी करने के रूप में अथवा संबंधित प्राधिकारी द्वारा उचित अनुशासनिक कार्रवाई करना शामिल हो सकता है।

5. शिकायतकर्ता की सहमति पर चिकित्सीय, पुलिस और विधिक हस्तक्षेप प्राप्त करने की मांग करना।

6. शिकायतकर्ता, यदि वह ऐसा चाहती है, के लिए उपयुक्त विधिक, मनोवैज्ञानिक भावात्मक और सक्रिय सहायता की व्यवस्था करना।

7. तृतीय पक्ष/बाहरी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न के मामले में संस्थान व्यथित महिला की सहमति से उचित प्राधिकारी, जिन्हें अपराध पर न्याय करने का अधिकार होगा, को शिकायत कर कार्रवाई शुरू करेगा। इसके अतिरिक्त, संस्थान तथा समिति, शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता महिला को सक्रिय रूप से सहायता एवं उपलब्ध संसाधन प्रदान करेंगे।

8. शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया एवं प्रणालियां

i. शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत स्वयं, डाक अथवा मेल द्वारा की जा सकती है। इस तरह की शिकायतें घटित घटना की तारीख से तीन माह के समय के भीतर दर्ज की जा सकती हैं और अनेक शिकायतों के मामले में अन्तिम घटित घटना की तारीख से तीन महीने के भीतर की जाए। आन्तरिक शिकायत समिति, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि परिस्थितियां ऐसी थीं, जिन्होंने पूर्वोक्त अवधि के दौरान शिकायत करने में बाधा डाली, तो उन कारणों को लिखित में रिकार्ड कर समय–सीमा बढ़ा सकती है।

ii. जिन मामलों में शिकायतकर्त्ता अपनी शारीरिक अथवा मानसिक असमर्थता अथवा मृत्यु के कारण या किसी अन्य कारणवश शिकायत नहीं कर पाती है, उनका कानूनी वारिस अथवा ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे शिकायतकर्ता ने अपना कानूनी वारिस प्राधिकृत किया हो, शिकायत कर सकता है।

iii. यदि शिकायतकर्ता चाहती हो, तो उसके साथ उसका कानूनी प्रतिनिधि मौजूद रह सकता है।

iv. आन्तरिक शिकायत समिति के किसी भी सदस्य के पास सीधे शिकायत की जा सकती है अथवा शिकायत दर्ज करने के विद्यमान चैनलों, जैसे कि संस्थान प्राधिकारियों, शैक्षिक एवं गैर–शैक्षिक स्टाफ एसोसिएशनों आदि के माध्यम से की जा सकती है। यदि शिकायत ऐसे किसी माध्यम से की गई है तो जिस व्यक्ति को शिकायत की गई हो, उन्हें इस शिकायत को अध्यक्ष, शिकायत समिति की जानकारी में उनके द्वारा इसकी प्राप्ति के दो कार्यदिवसों के अन्तर्गत लाना होगा।

v. निदेशक द्वारा शिकायत सीधे आन्तरिक शिकायत समिति के पास भेजी जाएगी।

vi. शिकायत मौखिक अथवा लिखित हो सकती है। यदि शिकायत मौखिक है, तो इसे आन्तरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष अथवा शिकायत प्राप्त करने वाले सदस्य द्वारा लिपिबद्ध किया जाएगा और दिनांकित हस्ताक्षर सहित अथवा अंगूठे के निशान सहित जैसी भी स्थिति हो, शिकायतकर्त्ता द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी।

vii. समिति के किसी भी सदस्य को की गई सभी शिकायतें सदस्य द्वारा प्राप्त एवं रिकार्ड की जाएंगी, जो तत्पश्चात् तत्काल अध्यक्ष को शिकायत के बारे में सूचित करेंगे और अध्यक्ष, तीन दिन के भीतर समिति की बैठक आयोजित करेंगे।

viii. समिति की सभी बैठकें अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएंगी और बैठक के लिए न्यूनतम दो कार्यकारी दिन पूर्व सूचना दी जाएगी।

ix. शिकायत प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर आन्तरिक शिकायत समिति निर्धारित करेगी कि क्या यौन उत्पीड़न का प्रथमदृष्टया केस बनता है कि नहीं। समिति सावधानीपूर्वक शिकायत पर विचार करेगी कि क्या समिति द्वारा जाँच प्रारम्भ की जाए अथवा नहीं, के लिए शिकायतकर्ता और प्रतिवादी और/अथवा अन्य संबद्ध व्यक्ति को सुन सकती है। यदि समिति मानती है कि इस प्रारंभिक अवस्था में प्रतिवादी को सुनना आवश्यक हे तो वह उसे इस आशय का नोटिस जारी करेगी।

x. कोई भी व्यक्ति जो यौन उत्पीड़न की शिकायत में शिकायतकर्त्ता, गवाह अथवा प्रतिवादी है, वह आन्तरिक शिकायत समिति में सदस्य नहीं होगा।

xi. कोई भी समिति सदस्य, जिस पर लिखित शिकायत में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया हो, उन्हें शिकायत की जाँच के दौरान जाँच समिति अथवा आन्तरिक शिकायत समिति की सदस्यता से त्याग पत्र देना आवश्यक है।

xii. यदि आन्तरिक शिकायत समिति शिकायत पर जाँच न करने का निर्णय लेती है तो इसे समिति की बैठक के कार्यवृत्त में इस आशय के कारण अभिलिखित करने होंगे। समिति शिकायतकर्त्ता को लिखित में इसे उपलब्ध कराएगी।

9. आन्तरिक शिकायत समिति के कार्य

क. आन्तरिक शिकायत समिति जाँच शुरू करने से पूर्व और शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उनके और प्रतिवादी के बीच समझौते के द्वारा मामले को निपटाने के लिए कदम उठा सकती है। हालांकि, आर्थिक बन्दोबस्त, समझौता के लिए कोई आधार नहीं होगा।

ख. आंतरिक शिकायत समिति नैसर्गिक न्याय और लिंग संवेदनशीलता के सिद्धान्तों के अनुरूप कार्यप्रणाली का अनुकरण करते हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत पर पूछताछ करेगी।

10. आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

इसमें आगे दी गई प्रक्रिया सामान्यतः अपनाई जाएगी। हालांकि, यौन उत्पीड़न की शिकायतों और पूछताछ को ध्यान में रखते हुए आन्तरिक शिकायत समिति जाँच करने के लिए अपनी प्रक्रिया निर्धारित/तैयार करने के लिए समर्थ है, बशर्ते कि यह नैसर्गिक न्याय और पारदर्शिता के सिद्धान्तों का अनुपालन करती हो। इन नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन नहीं किए जाने के आधार पर कोई भी जाँच अवैध नहीं मानी जाएगी।

(1) प्रक्रिया

i. शिकायतकर्ता को जाँच के दौरान अपने साथ एक प्रतिनिधि को लाने की अनुमति होगी।

ii. आन्तरिक शिकायत समिति न्यूनतम संभावित समय, अर्थात् जिस तारीख को इसे शिकायत भेजी गई हो, से तीन माह के भीतर जाँच करने का प्रयास करेगी। आन्तरिक शिकायत समिति को तीन माह की समयावधि के पश्चात् जाँच समाप्त करने में हुए किसी विलम्ब के लिए लिखित में समिति को कारण बताना आवश्यक है।

iii. शिकायत समिति द्वारा जाँच कार्यवाही प्रारम्भ करने के एक सप्ताह के भीतर, आन्तरिक शिकायत समिति शिकायत का सार, जैसे कि स्थान, जिस दिन कथित घटना घटित हुई, उसकी तारीख और समय पर एक दस्तावेज तैयार करेगी और उसे शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को इन नियमों और प्रक्रियाओं की एक प्रति के साथ सौंपेगी। आन्तरिक शिकायत समिति, शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत (तों) की एक सत्य प्रतिलिपि प्रतिवादी को उपलब्ध कराएगी।

प्रतिवादी को दस्तावेज, जिसे अनुशासनिक कार्यवाही के सन्दर्भ में 'आरोप पत्र' माना जाएगा, का उत्तर देने के लिए **सात दिन का समय** दिया जाएगा।

iv. आन्तरिक शिकायत समिति, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को अपना केस प्रस्तुत करने और अपना बचाव करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेगी।

v. जाँच की प्रथम सूचना प्राप्त होने के **अधिकतम 5 कार्य दिवसों** के भीतर शिकायतकर्ता और प्रतिवादी, दोनों लिखित रूप में गवाहों, जिन्हें वे चाहते हैं कि आन्तरिक शिकायत समिति उनकी जाँच करें, की सूची उनके सम्पर्क विवरण सहित प्रस्तुत करेंगे।

vi. शिकायतकर्ता और प्रतिवादी अपने गवाहों को आन्तरिक शिकायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे। हालांकि, यदि आन्तरिक शिकायत समिति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि विवाद का दोनों में से किसी एक पक्ष की अनुपस्थिति वैध कारणोंवश है, तो आन्तरिक शिकायत समिति उस समिति की उस विशेष बैठक को 5 दिन के लिए स्थगित कर देगी। इस प्रकार स्थगित बैठक तदुपरान्त संचालित की जाएगी चाहे संबंधित व्यक्ति बिना सूचना दिए/वैध कारणोंवश स्थगित बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ थे। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करना कि वैध कारण क्या हो सकते हैं, यह पूर्णरूपेण आन्तरिक शिकायत समिति के विवके पर निर्भर करता है।

vii. आन्तरिक शिकायत समिति किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में उपस्थित होने के लिए बुला सकती है, यदि उसके विचार में यह न्याय के हित में रहेगा।

viii. आन्तरिक शिकायत समिति के पास संस्थान के किसी भी अनुभाग, एकक, विभाग, केन्द्र आदि से जाँच के तहत् शिकायत से संबंधित किन्हीं भी सरकारी कागजों अथवा दस्तावेज को मंगाने की शक्ति होगी।

ix. आन्तरिक शिकायत समिति, प्रतिवादी के विरूद्ध किसी पूर्व शिकायत को संबंधित सुसंगत सूचना के रूप में मान सकती है। तथापि, शिकायतकर्ता के पूर्व यौन इतिवृत्त की कोई जाँच नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसी सूचना को यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए अप्रासंगिक माना जाएगा।

x. आन्तरिक शिकायत समिति को जितनी बार अपेक्षित हो, उतनी बार, प्रतिवादी, शिकायतकर्ता और/अथवा किसी गवाह को अनुपूरक साक्ष्य और/अथवा स्पष्टीकरण के लिए बुलाने का अधिकार है।

xi. जाँच कार्यवाही की तारीख, समय और स्थान की सूचना, प्रतिवादी, शिकायतकर्ता और गवाहों को लिखित रूप में न्यूनतम तीन कार्यदिवस पूर्व दी जाएगी।

xii. आन्तरिक शिकायत समिति को जाँच की कार्यवाही समाप्त करने और शिकायत पर एक पक्षीय निर्णय देने का अधिकार होगा, यदि प्रतिवादी आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा बुलाई गई लगातार दो सुनवाइयों में स्वयं बिना किसी वैध कारण के उपस्थित होने में विफल रहता है।

xiii. जाँच स्थल पर शिकायतकर्ता की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।

xiv. यदि शिकायतकर्ता, प्रतिवादी और गवाह चाहते हैं कि उनके साथ आन्तरिक शिकायत समिति के समक्ष उनकी पसन्द का व्यक्ति साथ रहे तो उन्हें उस व्यक्ति का नाम आन्तरिक शिकायत समिति के संयोजक को सूचित करना होगा। ऐसे व्यक्ति की केवल प्रेक्षक की हैसियत होगी और कार्यवाही के दौरान उसकी उपस्थिति, जिस व्यकित के साथ वे आ रहे हैं, उसके साक्ष्य तक सीमित रहेगी।

xv. शिकायतकर्ता और सभी गवाहों की पहचान आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा जाँच से पहले, जाँच के दौरान और बाद में संरक्षित की जाएगी और गोपनीय रखी जाएगी।

xvi. शिकायतकर्ता और प्रतिवादी अथवा उनकी ओर से किसी एक व्यक्ति को गवाहों के नामों और पहचान के अपवर्जन सहित रिकार्डिंग की लिखित प्रति की जाँच करने (examine) का अधिकार होगा। शिकायतकर्ता अथवा प्रतिवादी द्वारा अपनी ओर से नामित कोई व्यक्ति केवल संस्थान का सदस्य होगा। कोई भी व्यक्ति, जो यौन उत्पीड़न की शिकायत में प्रतिवादी रहा है, को नामिती के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। शिकायतकर्ता/प्रतिवादी, यदि वे इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें विशेष रूप से आन्तरिक शिकायत समिति को सूचित करना चाहिए। आंतरिक शिकायत समिति द्वारा विशेष तारीख, संबंधित

प्रत्येक पक्ष को न्यूनतम दो दिन पूर्व सूचित किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों को देखने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, संबंधित दोनों पक्ष किसी भी समय इन दस्तावेजों को आन्तरिक शिकायत समिति के कार्यालय से बाहर नहीं ले जा सकते हैं और ऐसे कार्यालयीन दस्तावेजों की फोटोकॉपी भी उन्हें नहीं दी जाएगी।

xvii. शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को सभी गवाहों की प्रति परीक्षा (cross examination) करने का अधिकार होगा। तथापि, ऐसी परीक्षा केवल आन्तरिक शिकायत समिति के माध्यम से लिखित प्रश्न और उत्तर के रूप में संचालित की जाएगी। प्रतिवादी को सीधे शिकायतकर्ता अथवा उसके गवाहों की प्रति परीक्षा करने का अधिकार नहीं होगा।

xviii. प्रतिवादी/शिकायतकर्ता, शिकायतकर्ता/गवाहों से जिन प्रश्नों पर चर्चा करना चाहता/चाहती है, उनकी एक लिखित सूची आन्तरिक शिकायत समिति को प्रस्तुत कर सकता/सकती है। आन्तरिक शिकायत समिति, किसी भी प्रश्न, पर उसका विश्वास हो कि उसे अप्रासंगिक, निन्दात्मक, अपमानजनक अथवा लिंग असंवेदनशील मानने के पर्याप्त कारण हैं, उसे अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास रखेगी। प्रतिवादी और उसके नामिती की ओर से जाँच के दौरान अथवा तदुपरान्त किसी प्रकार का मौखिक अथवा अन्य प्रकार से व्यहार जो मानसिक अथवा शारीरिक आघात पहुंचाने के लिए शिकायतकर्ता अथवा उसके गवाह को धमकाने के लिए किया गया है, वह आन्तरिक शिकायत समिति को प्रतिवादी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अनुशंसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है।

xix. आन्तरिक शिकायत समिति की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी में लिखित रूप में रिकार्ड की जाएगी। कार्यवाही का रिकार्ड और गवाहों के बयानों की तत्संबंधी प्रमाणिकता के लिए संबंधित व्यक्तियों द्वारा इसे पृष्ठांकित (हस्ताक्षरित) किया जाएगा।

xx. आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा सुने गए सभी व्यक्तियों के साथ–साथ प्रेक्षक और नामिती, शिकायतकर्ता और प्रतिवादी की गरिमा संरक्षित रखने के लिए कार्यवाही की गोपनीयता की शपथ लेंगे और उसका अनुपालन करेंगे। गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन दंड को आमंत्रित कर सकता है।

अपवाद

कोई भी शिकायतकर्ता, यदि चाहे तो यौन उत्पीड़न की शिकायत के संबंध में उसे जनता के बीच जाने का अधिकार है। यदि शिकायतकर्ता समिति में शिकायत फाइल करने से पूर्व जनता के बीच जाता है, तो उसका समिति के सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार यदि समिति को शिकायत दे दी गई हो, तब शिकायतकर्ता को जाँच समाप्त होने तक जनता के बीच अधिमानतः नहीं जाना चाहिए, जब तक कि उसके लिए ऐसा करने के बाध्यकारी कारण न हों।

xxi. आन्तरिक शिकायत समिति के सदस्य, उनके द्वारा संचालित कार्यवाही के बारे में गोपनीयता बनाए रखेंगे।

xxii. यदि शिकायतकर्ता साक्ष्य के माध्यम से कोई दस्तावेज पेश करना चाहती है तो आन्तरिक शिकायत समिति, ऐसे दस्तावेजों की एक सत्य प्रतिलिपि प्रतिवादी को मुहैया कराएगी। तदनुरूप, यदि प्रतिवादी, साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज पेश करना चाहता है तो आन्तरिक शिकायत समिति ऐसे दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि शिकायतकर्ता को मुहैया कराएगी।

xxiii. यदि आन्तरकि शिकायत समिति समझती है कि अनुपूरक साक्ष्य आवश्यक है, ऐसी स्थिति में यह संबंधित व्यक्तियों को कार्यवाही का सार भेज सकती है तथा व्यक्तिगत रूप से अथवा लिखित में ऐसे साक्ष्य को आन्तरिक शिकायत समिति को पेश करने के लिए **सात दिन** की समयावधि की अनुमति दे सकती है।

xxiv. जाँच कार्यवाही के निलंबित रहने के दौरान किसी नए तथ्य अथवा साक्ष्य, जो शिकायत समिति के समक्ष लाए जाएं, अथवा उदित हो, का संज्ञान लेने से इसे कोई प्रतिबाधित नहीं कर सकता है। यदि उपयुक्त अनुशासनिक अधिकारी को जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् आन्तरिक शिकायत समिति की जानकारी में कोई नए तथ्य अथवा साक्ष्य लाए जाते हैं, तो पुनर्आयोजित आन्तरिक शिकायत समिति के गठन की स्थिति में आन्तरिक शिकायत समिति के न्यूनतम आधे सदस्य वे ही होंगे, जिन्होंने पूर्वोक्त शिकायत की मूलरूप में जाँच की थी। ऐसी पुनर्आयोजित समिति की जाँच का कार्यक्षेत्र केवल सामग्री (material) तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह आन्तरिक शिकायत समिति पर निर्भर करता है कि वह ऐसी नई सामग्री (material) के आलोक में संपूर्ण सामग्री पर रिकार्ड में पुनः

विचार करे, यदि ऐसा करना उपयुक्त समझा जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आन्तरिक शिकायत समिति/जाँच समिति को अपने निर्णय (यों) की समीक्षा करने की भी शक्ति होगी।

xxv. आन्तरिक शिकायत समिति यौन उत्पीड़न के गुप्त, निजी और घातक प्रकृति के उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील रहेगी और इस बात का ध्यान रखेगी कि अक्सर पीड़ित महिला प्रत्यक्ष अथवा समर्थक साक्ष्य देने/प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाती है।

xxvi. आन्तरिक शिकायत समिति, पीड़ित महिला के चरित्र, निजी जीवन, आचरण, व्यक्तिगत एवं यौन इतिवृत्त पर आधारित कोई साक्ष्य अथवा जाँच की अनुमति नहीं देगी।

xxvii. आन्तरिक शिकायत समिति साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय दोनों पक्षों की संबंधित सामाजिक–आर्थिक स्थिति, संबंधित संगठन/कार्यस्थल में उनके पदानुक्रम, नियोक्ता–कर्मचारी समीकरण और अन्य अधिकार भिन्नताओं को ध्यान में रखेगी।

xxviii. जब तक यौन उत्पीड़न की कथित पीड़ित अपना मौखिक साक्ष्य देने का विकल्प नहीं चुनती, तब तक आन्तरिक शिकायत समिति शिकायतकर्ता को सूचित करेगी कि वह लिखित में अपना साक्ष्य दे सकती है, बशर्ते कि वह स्वयं को इसी विषय पर प्रतिवादी द्वारा जाँच के लिए उपलब्ध कराती है।

xxix. आन्तरिक शिकायत समिति, शिकायतकर्ता को सूचित करेगी कि वह प्रति परीक्षा (cross examination) के दौरान जाँच कार्यवाही में संवेदनशील प्रकृति के प्रश्नों का उत्तर लिखित में दे सकती है।

xxx. यौन उत्पीड़न की शिकायत पर परीक्षा और जाँच के दौरान प्राप्त सम्पूर्ण सूचना धरोहर के रूप में आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा रखी जाएगी और उसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तग्रत आवेदन के अनुसरण में उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इस तरह की सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (ड़) के अन्तर्गत एक अपवाद माना जाएगा, क्योंकि यह सूचना आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा एक प्रत्ययी (fiduciary) संबंध के अन्तर्गत रखी जानी है

और उसका प्रकटीकरण न करना सार्वजनिक हित के विरूद्ध नही होगा। इसके विपरीत, इस तरह की सूचना के प्रकटीकरण से शिकायतकर्ता अथवा किसी भी गवाह का जीवन और शरीरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इस नियम का एक अपवाद तब होगा जब शिकायतकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत़ स्वयं सूचना के लिए आवेदन करेगी।

2. **जाँच 90 दिनों के भीतर पूरी की जानी है:** जाँच जिस तारीख को शुरू हुई उसके 90 दिनों की अवधि के भीतर जाँच पूरी की जाएगी और जाँच रिपोर्ट यौन उत्पीड़न शिकायत समिति को प्रस्तुत की जाएगी। जाँच रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के संबंध में किसी विलम्ब के मामले में, इसके विलम्ब के कारणों को लिखित में अभिलिखित किया जाएगा। हालांकि विलम्ब, यदि कोई होता है, उससे जाँच अविधिमान्य नहीं होगी।

11. आन्तरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट

(क) जहाँ पूरी होने पर, आन्तरिक शिकायत समिति, जाँच पूरी होने के 10 दिनों के भीतर अपने जाँच–निष्कर्षो की रिपोर्ट, दोनों पक्षों की एक–एक प्रति सहित निदेशक, भा.प्रौ. सं. दिल्ली को प्रदान करेगी। जिस मामले में निदेशक अनुशासनात्मक प्राधिकारी नहीं है, उनमें निदेशक समुचित कार्रवाई हेतु रिपोर्ट अध्यक्ष, अभिशासक परिषद के समक्ष रखेंगे।

(ख) जहाँ, आन्तरिक शिकायत समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आरोप सिद्ध नहीं हुए, यह निदेशक, भा.प्रौ.सं. दिल्ली को अनुशंसा करेगी कि इस विषय पर आगे कोई कार्रवाइ करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जहाँ, आन्तरिक शिकायत समिति, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी के विरूद्ध आरोप सिद्ध हो गए हैं तो यह निदेशक, भा.प्रौ.सं. दिल्ली को अनुशंसा करेगी कि यौन उत्पीड़न के लिए कदाचार के रूप में कार्रवाई की जाए।

(घ) आन्तरिक शिकायत समिति यह भी अनुशंसा कर सकती है कि कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 की धारा 15 के अनुसार प्रतिवादी के वेतन अथवा मजदूरी से, उतनी राशि जिसे शिकायतकर्ता और उसके कानूनी वारिस को भुगतान किया जाना है, जितनी ठीक समझी जाए, काट ली जाए।

(ड) प्रस्तावित दंड के विरूद्ध अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार के अधीन, अनुशासनिक प्राधिकारी, आन्तरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट प्राप्ति के दो माह के भीतर

अनुशासनिक कार्यवाही करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि आन्तरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट को जाँच रिपोर्ट माना जाएगा, जिसके आधार पर प्रतिवादी के खिलाफ दंड प्रस्तावित/अधिरोपित किया जा सकता है।

12. अपील

शिकायतकर्ता एवं प्रतिवादी, यदि वे अनुशासनिक प्राधिकारी से निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो उन्हे CCS (CCA) नियमों के उपबन्धों के अनुसार अथवा संस्थान के अन्य नियमों के अनुसार अपील करने का अधिकार होगा।

13. समाधानः

(i) समिति, जाँच की विचाराधीन अवधि के दौरान यदि आरोपी उत्पीड़नकर्ता जाँच को प्रभावित कर सकता है तो उसके सरकारी स्थान से निलम्बन/स्थानान्तरण की माँग कर सकती है।

(ii) यौन उत्पीड़न की पीड़िता को अपराधकर्ता के स्थानांतरण अथवा स्वयं अपना स्थानान्तरण मांगने का विकल्प होगा।

14. जहाँ यौन उत्पीड़न दंडनीय अपराध के बराबर होः–

जिन मामलों में यौन उत्पीड़न का आचरण भारतीय दंड संहिता (1860 कर 45वां) अथवा अन्य कानून के अन्तर्गत विशेष अपराध के बराबर हो, तो यह आन्तरिक शिकायत समिति का कर्तव्य होगा कि वह तत्काल शिकायतकर्ता को उचित प्राधिकारी के पास कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करने के उसके अधिकार की जानकारी देगी और उसके बारे में परामर्श करेगी तथा मार्गदर्शन करेगी।

इस तरह शुरू की गई कोई कार्रवाई अथवा कार्यवाही इस नीति के अन्तर्गत शुरू की गई कार्यवाही और/अथवा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त होगी।

15. इन नियमों के उपबन्धों के निर्वचन और अथवा कार्यान्वयन में किसी प्रकार के सन्देह, द्वयर्थकता और कठिनाई के मामले में निदेशक के निर्णय की माँग की जाएगी, वह निर्णय अन्तिम होगा।